



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272491
CG-DL-E-12052026-272491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 323]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 18/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 357(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, क्रमांक 12 के सामने :

- I. स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- II. स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026, जिसे सा.का.नि. 330 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 18/2026-Customs

G.S.R. 357(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely :-

In the said notification, in the TABLE III, against S. No. 12, -

I. in column (5), for the entry, the entry “10” shall be substituted;

II. in column (6), for the entry, the entry “4” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, and was last amended by notification No. 14/2026-Customs, dated 30th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 330(E), dated the 30th April, 2026.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272490
CG-DL-E-12052026-272490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 322]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 17/2026- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 356(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 8 मई 2000, जिसे सा. का. नि. 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी के, क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में, "4.35%" जहाँ भी हो, के स्थान पर, "10%" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 8 मई 2000, को सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 8 मई 2000, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 17/2026-Customs

G.S.R. 356(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 1, in column (4), for the entry “4.35%” wherever it occurs, “10%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 33/2024-Customs, dated 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 436 (E), dated the 23rd July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272489
CG-DL-E-12052026-272489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 324]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 15/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 358(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्तूबर, 2025, जिसे सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका I में,—

- (1) क्रम सं. 192 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (2) क्रम सं. 193 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम सं. 194 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम सं. 195 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम सं. 196 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (6) क्रम सं. 197 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (7) क्रम सं. 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“200क.	7112	बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख : परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3 और 24”;

- (8) क्रम सं. 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11, 7110 11 19, 7110 11 21, 7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118	क्रम सं. 200क में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा सभी सामान	10%	-	-”;

(9) क्रम सं. 203 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 06/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 12 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे सा.का.नि. 181(अ), दिनांक 12 मार्च, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 15/2026-Customs

G.S.R. 358(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: —

In the said notification, in TABLE I, -

- (1) against S. No. 192, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (2) against S. No. 193, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (3) against S. No. 194, in column (4), for the entry "5%", at both the places, the entry "10%" shall be substituted;
- (4) against S. No. 195, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (5) against S. No. 196, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (6) against S. No. 197, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (7) after S. No. 200 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"200A.	7112	Spent catalyst or ash containing precious metals: Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 st March, 2027	10%	-	3 and 24";

- (8) for S. No. 202 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11, 7110 11 19,	All goods other than those mentioned at S. No. 200A	10%	-	-";

	7110 11 21, 7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118				
--	---	--	--	--	--

(9) against S. No. 203, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 06/2026-Customs, dated the 12th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.181 (E), dated the 12th March, 2026.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272488
CG-DL-E-13052026-272488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 325]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 16/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 359(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन								
(1)	(2)	(3)								
1.	11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—</p> <p>(i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में, अंक “7108,” के लिए, अंक “7107, 7108, 7109, 7111, 7112,” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;</p> <p>(ii) क्रम सं. 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;</p> <p>(iii) क्रम सं. 56क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—</p> <table border="1" data-bbox="592 846 1366 987"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“56क.</td> <td>शीर्ष 7118 के अधीन आने वाले सभी वस्तुएँ।”;</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	“56क.	शीर्ष 7118 के अधीन आने वाले सभी वस्तुएँ।”;				
(1)	(2)									
“56क.	शीर्ष 7118 के अधीन आने वाले सभी वस्तुएँ।”;									
2.	11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित	<p>उक्त अधिसूचना में,—</p> <p>(क) सारणी में,—</p> <p>(i) क्रम सं. 15क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5.4%” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(ii) क्रम सं. 15ख के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “4.35%” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(iii) क्रम सं. 15ग के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “4.35%” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(iv) क्रम सं. 15घ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5%” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(v) क्रम सं. 15ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—</p> <table border="1" data-bbox="592 1742 1366 2024"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“15ड.</td> <td>7112</td> <td>बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर या</td> <td>4.35%”;</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	“15ड.	7112	बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर या	4.35%”;
(1)	(2)	(3)	(4)							
“15ड.	7112	बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर या	4.35%”;							

			<p>विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा: परन्तु यह और कि आयातकर्ता निकासी के समय और स्थान पर,—</p> <p>(क) सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, यथास्थिति, को आयात किए जा रहे बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख में अंतर्विष्ट बहुमूल्य धातुओं के प्रतिशत के संबंध में और इस आशय का वचनबंध देगा कि उक्त माल बहुमूल्य धातुओं की पुनःप्राप्ति के लिए आयात किया गया है;</p> <p>(ख) सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, यथास्थिति, के समक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें पुनःप्राप्ति या पुनर्चक्रण प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य धातु युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख के आयात की अनुमति दी गई हो।</p>	
		<p>(vi) क्रम सं. 15ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—</p>		
(1)	(2)	(3)	(4)	
"15डक.	7112	क्रम सं. 15ड में उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	5%";	

(vii) क्रम सं. 15च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“15च.	7113	(i) गोल्ड फाइंडिंग्स; (ii) सिल्वर फाइंडिंग्स; (iii) प्लेटिनम फाइंडिंग्स	5% 5% 5.4%”;
<p>स्पष्टीकरण.— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, गोल्ड, सिल्वर, या प्लेटिनम फाइंडिंग्स का अर्थ है एक छोटा घटक जैसे हुक, क्लैम्प, क्लैम्प, पिन, कैच, स्कू बैक जो आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को अपनी जगह पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है</p>			

(viii) क्रम सं. 15छ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“15छ.	7118	सभी माल	5%”;

(ix) क्रम सं. 15ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“15ज.	7107 00	सभी माल	5%
15झ.	7109 00	सभी माल	5%

		15ब.	7111 00 00	सभी माल	5.4%
		15ट.	7106, 7108	अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित, की सारणी के क्रम सं. 1 के अधीन आने वाला सोना और चांदी	4.35%
		15ठ.	71	अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित, के अधीन जिन सभी माल पर मूल सीमाशुल्क से छूट का दावा किया गया और अनुमति दी गई है, क्रम सं. 15ट में उल्लिखित से भिन्न	शून्य”;
(ख) अनुबंध में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।					

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:—

1. मूल अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना

सं. 14/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 330(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

2. मूल अधिसूचना सं. 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 16/2026-Customs

G.S.R. 359(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sections 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) and 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the TABLE below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said TABLE, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments				
(1)	(2)	(3)				
1.	11/2018-Customs, dated the 2 nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 114(E), dated the 2 nd February, 2018	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against Sl. No. 1, in column (2), for the figures “7108,” the figures “7107, 7108, 7109, 7111, 7112,” shall be substituted;</p> <p>(ii) Sl. No. 54A and the entries relating thereto shall be omitted;</p> <p>(iii) for Sl. No. 56A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>“56A.</td> <td>All goods falling under heading 7118.”;</td> </tr> </table>	(1)	(2)	“56A.	All goods falling under heading 7118.”;
(1)	(2)					
“56A.	All goods falling under heading 7118.”;					
2.	11/2021-Customs, dated the 1 st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 69(E), dated the 1 st February, 2021	<p>In the said notification,</p> <p>(A) in the TABLE,-</p> <p>(i) against Sl. No. 15A, in column (4), for the entry, the entry “5.4%” shall be substituted;</p> <p>(ii) against Sl. No. 15B, in column (4), for the entry, the entry “4.35%” shall be substituted;</p> <p>(iii) against Sl. No. 15C, in column (4), for the entry, the entry “4.35%” shall be substituted;</p> <p>(iv) against Sl. No. 15D, in column (4), for the entry, the entry “5%” shall be substituted;</p> <p>(v) for Sl. No. 15E and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-</p>				

(1)	(2)	(3)	(4)
"15E.	7112	Spent catalyst or ash containing precious metals Provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022: Provided further that the importer at the time and place of clearance: — (a) gives an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, regarding percentage of precious metals contained in spent catalyst or Ash containing precious metal being imported and to the effect that the said goods are imported for recovery of precious metals.; (b) produces a certificate from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change before the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, permitting import of spent catalyst or Ash containing precious metal for recovery or recycling purposes.	4.35%";
(vi) after Sl. No. 15E and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-			
(1)	(2)	(3)	(4)
"15EA.	7112	All goods other than those mentioned at Sl. No. 15E	5%";
(vii) for Sl. No 15F and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -			
(1)	(2)	(3)	(4)
"15F.	7113	(i) Gold findings; (ii) Silver findings; (iii) Platinum findings. <i>Explanation. - For the purposes of this entry, gold, silver or platinum findings</i>	5% 5% 5.4%";

		<i>mean a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of jewellery in place</i>	
(viii) for Sl. No 15G and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -			
(1)	(2)	(3)	(4)
“15G.	7118	All goods	5%”;
(ix) after Sl. No. 15G and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely:-			
(1)	(2)	(3)	(4)
“15H.	7107 00 00	All goods	5%
15I.	7109 00 00	All goods	5%
15J.	7111 00 00	All goods	5.4%
15K.	7106, 7108	Gold and Silver covered under Sl. No. 1 of TABLE of notification No. 57/2000-Customs dated 8 th May, 2000 <i>vide</i> number G.S.R.413(E), dated the 8th May, 2000	4.35%
15L.	71	All goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under notification No. 57/2000-Customs, dated 8 th May, 2000 <i>vide</i> number G.S.R.413(E), dated the 8th May, 2000, other than those mentioned at Sl. No. 15K	Nil”;
(B) in the ANNEXURE, Sl. No. 11 and the entries relating thereto shall be omitted.			

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:-

1. The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February 2018, and was last amended *vide* notification No. 14/2026-Customs, dated the 30th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 330(E) dated the 30th April, 2026.
2. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E) dated the 1st February, 2021, and was last amended *vide* notification No. 3/2026-Customs, dated the 1st February, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 84(E) dated the 1st February, 2026.